प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

22 सितंबर 2025

रिज़र्व बैंक ने अनियमित ऋण पद्धतियों के कारण दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त कर दिया है:

एनबीएफसी का नाम/विवरण	सेवा प्रदाता का नाम (मोबाइल ऐप)
दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड <u>पंजीकृत कार्यालय पता:</u> के-1/82 चितरंजन पार्क, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110019 <u>सीओआर सं.:</u> बी-14.01007 दिनांकित 29 मार्च 2000	1. किनकैश ऐप और दोलोन ऐप - जेस्ट टॉप वन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 2. ज़ेस्टकैश ऐप - कंपनी का इन-हाउस ऐप

अतः, उपरोक्त कंपनी, इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथा परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) का कारोबार नहीं करेगी।

उक्त सीओआर को रिज़र्व बैंक द्वारा निरस्त किया गया है क्योंकि कंपनी ने अपने डिजिटल उधार परिचालन में, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता संबंधी आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया, जिसमें कंपनी ने अपने मुख्य निर्णय लेने वाले कार्यों यथा ग्राहकों की सोर्सिंग, उनकी उचित जांच, ऋण संवितरण, ऋण की चुकौती, दिए गए ऋण की वसूली आदि के साथ-साथ सेवा प्रदाता के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) सत्यापन को आउटसोर्स किया।

(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1143